दैनिक भास्कर | विविध | उज्जैन, शुक्रवार 08 दिसंबर, 2023 | 11

44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी

भास्कर न्यूज | देहरादून

शुक्रवार से देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 'उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023' की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र के दौरान 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का शुभारंभ भी करेंगे। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टूरिज्म हेल्थ्केयर सेक्टर से जुड़े 16 प्रोजेक्ट शामिल हैं। यह पहला मौका होगा जब इतने बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग शुरू की जा रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की थीम 'पीस टू प्रोस्पेरिटी' रखी है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड को देश में निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के साथ ही आने वाले निवेश के माध्यम से राज्य में रोजगार पैदा करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दाई लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसे पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा उद्योग समूहों के साथ एमओयू साइन किए जाने का कार्य प्रगति पर है। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्य सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, देश के प्रमुख उद्योगपति और कई विशिष्ट अतिथि मौजूद होंगे।

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मख्य कार्यालय, द मॉल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू- 4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, पब्लिसिटी स्टेशनरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।
नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा C-878/23

OFFICE OF NAGAR PARISHAD RAJGARH DISTT- DHAR

NIT No. 820 Dated: 05-12-2023

Notice Inviting Tender (2nd Call)

ONLINE BIDS ARE INVITED FROM REGISTERED CONTRACTORS/ FIRMS OF REPUTE FOR WORK OF AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SYSTEM OF RAJGARH TOWN UNDER AMRUT 2.0, E-TENDER ID NO: 2023_UAD_318514_1 PROBABLE AMOUNT RS. 1596.34 LACS, EMD RS. 7,98,169.00, COST OF BID DOCUMENT RS. 30,000/-, LAST DATE AND TIME OF SUBMISSION OF BID : 23-12-2023 & TIME: 17:30 HRS*

*ALL OTHER DETAILS ARE PUBLISHED ON WEBSITE WWW.MPTENDER.GOV.IN, FURTHER INFORMATION OR CLARIFICATION (IF ANY) SHALL BE PUBLISHED ON WEBSITE ONLY, AND NOT IN NEWSPAPER.

SURENDRASINGH PANWAR	DEEPAK JAIN	MRS SAVERA JAISWAL
CMO	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष नंबर: 0522-3178490;
वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: cscootersindia@gmail.com; अनपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ओवर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के रजिस्ट्रार के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीषधारी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हरदे से भेजा: (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से वोलर्ड लिमिटेड ("**बोलर्ड**" / "**स्टॉक एक्सचेंज**") से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) एक संयुक्त SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/3508/1 दिनांक 10 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। एक क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय V। के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की बोलना/हथाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंट विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"नीषधारी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली दिटेन प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया।

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्रति करके डेली दिटेन विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का प्रारंभ व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से यह प्रबंधक द्वारा अपना हरदा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईघोष"**) की गई थी। तदनुसार कंपनी के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रारंभ दिया गया।

1.6. आईघो प्रारंभ होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता और उसे सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर रही।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई स्विंग छूट;
ii. 24 मई, 2023 की पूर्व डिलिस्टिंग रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और
iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायर्दो पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। ढाक मापदंड के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है, और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को ढाक मतगय के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियम 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण करना चाहता है, अपूर्णीकृष्टता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ओवर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ओवर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। दिटर और, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	**भाषा**	**संस्करणों**
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
टैफिक एक्सोलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
टैफिक आकताब	उर्दू	श्री नगर
टैफिक जगराण	हिंदी	संगूर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़ा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
टैफिक भास्कर	हिंदी	छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ : हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बहरैमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु डेली, पार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश - तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़ा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को बंद किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक हिस्टेरा महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान मात्रा 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा यहां नई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पढ़ेंगे ने प्रतावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान की हैं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्रदान की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सी शेयरहोल्डिंग रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी की एक पेशेवर कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कार्पोरेट्स के लिए चालना मानदंड में छूट यानी नहीं थी, जिस कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक अपूर्णीकृष्टता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयावधि को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पात्रता के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को फिर एक संयुक्त में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में दिखें कुल-विनिमेय पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. भौगोलिक आधार पर, उन्हीं आबादारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को ईमेल आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को भौतिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) तिथियों की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिथियों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समयपत्र पर के प्रस्ताव की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		**बाद में**	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अपूर्णीकृष्ट हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सांख्यिकी-सर्मक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होना।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नमक दो सांख्यिकी-सर्मक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट्स ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम स्वरोगे एंड कंपनी ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़ा गए डीलिस्टिंग विनियम, जिसकि 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रणालयों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स वैफिल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ओवर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली दिटेन ओवर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली दिटेन विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंट विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होना।

5.6. 24 मई,2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिसूचित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली दिटेन की तारीख से दो सात तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंट विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमेदता होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) के आधार शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 16,99,66,622.28/- भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बहत्तर अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंट विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में संचित 100%, प्रतिशत, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बहत्तर और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर की पेशकश करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से डिलीवरी पे इन स्लिप के साथ ब्रोकर के पास जाना होगा। निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। सिंगापोर पर 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंट ऑफर' अंकित होना चाहिए ताकि लिस्टिंट के पास डिलिस्टिंट ऑफर पहुंच सके, स्थानीयता फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता- डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020, फोन नंबर: 011 - 26812682/83 श

दैनिक भास्कर | विविध | उज्जैन, शुक्रवार 08 दिसंबर, 2023 | 11

44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी

भास्कर न्यूज | देहरादून

शुक्रवार से देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 'उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023' की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र के दौरान 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का शुभारंभ भी करेंगे। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टूरिज्म हेल्थ्केयर सेक्टर से जुड़े 16 प्रोजेक्ट शामिल हैं। यह पहला मौका होगा जब इतने बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग शुरू की जा रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की थीम 'पीस टू प्रोस्पेरिटी' रखी है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड को देश में निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के साथ ही आने वाले निवेश के माध्यम से राज्य में रोजगार पैदा करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दाई लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसे पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा उद्योग समूहों के साथ एमओयू साइन किए जाने का कार्य प्रगति पर है। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्य सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, देश के प्रमुख उद्योगपति और कई विशिष्ट अतिथि मौजूद होंगे।

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मख्य कार्यालय, द मॉल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू- 4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, पब्लिसिटी स्टेशनरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।
नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा C-878/23

OFFICE OF NAGAR PARISHAD RAJGARH DISTT- DHAR

NIT No. 820 Dated: 05-12-2023

Notice Inviting Tender (2nd Call)

ONLINE BIDS ARE INVITED FROM REGISTERED CONTRACTORS/ FIRMS OF REPUTE FOR WORK OF AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SYSTEM OF RAJGARH TOWN UNDER AMRUT 2.0, E-TENDER ID NO: 2023_UAD_318514_1 PROBABLE AMOUNT RS. 1596.34 LACS, EMD RS. 7,98,169.00, COST OF BID DOCUMENT RS. 30,000/-, LAST DATE AND TIME OF SUBMISSION OF BID : 23-12-2023 & TIME: 17:30 HRS*

*ALL OTHER DETAILS ARE PUBLISHED ON WEBSITE WWW.MPTENDER.GOV.IN, FURTHER INFORMATION OR CLARIFICATION (IF ANY) SHALL BE PUBLISHED ON WEBSITE ONLY, AND NOT IN NEWSPAPER.

SURENDRASINGH PANWAR	DEEPAK JAIN	MRS SAVERA JAISWAL
CMO	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष नंबर: 0522-3178490;
वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: cscootersindia@gmail.com; अनपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ओवर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के रजिस्ट्रार के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीषधारी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हरदे से भेजा: (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से वोलर्ड लिमिटेड ("**बोलर्ड**" / "**स्टॉक एक्सचेंज**") से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) एक संयुक्त SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/3508/1 दिनांक 10 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। एक क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय V। के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की बोलना/हथाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंट विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"नीषधारी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली दिटेन प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया।

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्रति करके डेली दिटेन विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का प्रारंभ व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से यह प्रबंधक द्वारा अपना हरदा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईघोष"**) की गई थी। तदनुसार कंपनी के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रारंभ दिया गया।

1.6. आईघो प्रारंभ होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता और उसे सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर रही।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई स्विंग छूट;
ii. 24 मई, 2023 की पूर्व डिलिस्टिंग रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और
iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायर्दो पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। ढाक मापदंड के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है, और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को ढाक मतगय के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियम 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण करना चाहता है, अपूर्णीकृष्टता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ओवर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ओवर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। दिटर और, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	**भाषा**	**संस्करणों**
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
टैफिक एक्सोलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
टैफिक आकताब	उर्दू	श्री नगर
टैफिक जगराण	हिंदी	संगूर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़ा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
टैफिक भास्कर	हिंदी	छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ : हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बहरैमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु डेली, पार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश - तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़ा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को बंद किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक हिस्टेरा महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान मात्रा 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा यहां नई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पढ़ेंगे ने प्रतावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान की हैं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्रदान की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सी शेयरहोल्डिंग रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी की एक पेशेवर कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कार्पोरेट्स के लिए चालना मानदंड में छूट यानी नहीं थी, जिस कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक अपूर्णीकृष्टता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयावधि को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पात्रता के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को फिर एक संयुक्त में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में दिखें कुल-विनिमेय पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. भौगोलिक आधार पर, उन्हीं आबादारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को ईमेल आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को भौतिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) तिथियों की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिथियों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समयपत्र पर के प्रस्ताव की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		**बाद में**	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अपूर्णीकृष्ट हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सांख्यिकी-सर्मक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होना।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नमक दो सांख्यिकी-सर्मक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट्स ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम स्वरोगे एंड कंपनी ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़ा गए डीलिस्टिंग विनियम, जिसकि 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रणालयों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स वैफिल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ओवर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली दिटेन ओवर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली दिटेन विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंट विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होना।

5.6. 24 मई,2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिसूचित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली दिटेन की तारीख से दो सात तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंट विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमेदता होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) के आधार शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 16,99,66,622.28/- भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बहत्तर अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंट विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में संचित 100%, प्रतिशत, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बहत्तर और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर की पेशकश करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से डिलीवरी पे इन स्लिप के साथ ब्रोकर के पास जाना होगा। निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। सिंगापोर पर 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंट ऑफर' अंकित होना चाहिए ताकि लिस्टिंट के पास डिलिस्टिंट ऑफर पहुंच सके, स्थानीयता फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता- डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020, फोन नंबर: 011 - 26812682/83 श

दैनिक भास्कर में
पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि एवं शोक संदेश
BhaskarAd.com से घर बैठे बुक करें
9772019222

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, 7 माल, पटियाला- 147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइट : www.pspcl.in
एजेन्सी : 39461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: ब्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद समाल, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ट्रक यॉर्ड, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क्ड, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरआरडी/अमोरफस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।
नोट: शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा
C-878/23

नारी स्वास्थ समस्याओं का करो जड़ से इलाज
अभी कॉल करें
7710644444

सर्दी में रूखी त्वचा को रखें मुलायम
BHANDART LABS
41 वर्षों से आपके साथ.....
भंडारी ग्लिसरीन स्किन सॉफ्टनर
100% प्योर
प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर....
4 साइजों में नजदीकी मेडिकल / किराना / जनरल स्टोर्स एवं DMart amazon Flipkart पर उपलब्ध हैं!
For Business Enquires: +91 97528-70708, 88399-07906

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकास खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष नंबर: 0522-3178490;
वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: csscootersindia@gmail.com; अनपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के मामलम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजा: (i) सभी या अधिकतम इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, और (ii) पीएमप्रबलन्स स्वेच्छा से सेफ्सई लिमिटेड ("**बीएसई**") / "**स्टॉक एक्सचेंज**") से इक्विटी शेयरों को खुलेबाजार, एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध थेयर, इसके अनुसार और ऐसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एस क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पर संशोधित SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 10 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। एस क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव"** या **"डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय V1 के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर पेश कर रहे हैं।

1.2.भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के एस क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की फेजवाइज़ बिक्री के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेलरी रिटेंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्रत्र करके डेलरी रिटेंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का प्रस्ताव किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना प्रारंभ प्रस्ताव करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्राधिकार सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी, जिसे कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रारंभ दिया गया।

1.6. आईपीए प्रारंभ होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10 (2) के संदर्भ में मोतिल अमित गुप्ता, डैमडिसि कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लेखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़ें पर इक्विटीयर विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का टोटल शुल्य न्यूनतम खुला 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने इसलिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 को हुई डेलिवरि रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फाक्टों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। उक्त मामल के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने चूंकि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के तहत प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुसार में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रभोटर और प्रमोटर समूह के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, अभूतपूर्वबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेलरी से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। दिटर ऑफर, नाडीकार, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा ('पीए') छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
ए फाइनैंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एफ्लोसिएस	अंग्रेजी	जम्मू और कश्मीर
दैनिक आकताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बाहरीन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
दिन्	तमिल	तमिलनाडु
कल कौमुदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का अधिकार और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की फेजवाइज़ बिक्री के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक करना उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार पिछलात बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तालता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का असस्र प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित में प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी ने छूट प्रदान की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (जी) और प्रमोटर समूह की भी प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरीयलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तारीख से निर्गत आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रारिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19क के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों की पूरी करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक अनुपबैद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से संचिहित मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और प्रारंभ के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को बिय् एर् संचार में लागू पात्रदों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रियर्स चुक-चिन्हित पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को साथ सकार करने को सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृति हुई थी वे बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ सम्बन्ध में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. वैकल्पिक आधार पर, उन्हें खुलासे में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को सेबी की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के असस्र का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुपतों संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को पैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के असस्र का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

विवरण	पूर्व		बाद में	
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अनुपस्थित हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सक्षमनी-सम्मेक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्रात करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होना।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स लाभ दे सार्कनी-सम्मेक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। मंगिन एंड एसोसिएट्स (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015049एन और मेसर्स अंश रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के इक्विटी मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी की सूचित किया गया था कि डेलरी रिटेंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेलरी रिटेंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया गया है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होना।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिपुष्टित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए इक्विटीयर ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली रिटेंग की तारीख से से सात तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों को पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिशत, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को और शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 8) 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस आठ पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता खोला अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में राशि 100% प्रतिशत, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और आठ्ठस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने या शय से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। जिसके पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिवरि ऑफर पहुंच सके, स्वहस्ताक्षर फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉ- डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1, नई दिल्ली - 110020, भारत; फोन नंबर: 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् अंतिम अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरीयलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निदेश की एक काउंटरफोइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया है:

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को उपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि और ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरीयलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	रिक्विज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आगे डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के अन्तरण हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची को फोटोकॉपी के ब

आईआईटी प्लेसमेंट में कंपनियां बढ़ीं, पर 1 करोड़+ के पैकेज घटे

एचएफटी कंपनियों ने एक करोड़ से ज्यादा वेतन वाले पैकेज बढ़ाए

अनिरुद्ध शर्मा | नई दिल्ली

प्रीमियम तकनीकी संस्थान आईआईटी में 2 दिसंबर से कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो चुके हैं। 4 दिन का एनालिसिस करें तो पता चला है कि इस बार यहां ग्लोबल टेक स्लोडाउन हावी है। जॉब ऑफर करने वाली कंपनियां तो बढ़ी हैं, लेकिन एक करोड़ से ज्यादा के सालाना पैकेज देने वाली कंपनियां 20% घट गई हैं। ये कंपनियां हर साल आती थीं। इसके अलावा सैलरी पैकेज भी घट गए हैं।

कुछ आईआईटीज प्रोफेसर्स ने बताया कि अमेजन, इंफोसिस प्लेसमेंट में नहीं हैं। टीसीएस पहले ही कह चुकी है कि फ्रेशर्स की भर्ती सोच-समझकर करेगी। जिन जेन स्ट्रीट कैपिटल ने पिछले साल 3.7 करोड़ का सबसे बड़ा पैकेज दिया था, वो इस प्लेसमेंट से बाहर है। मॉर्गन स्टेनले, डेटाब्रिक्स, बीसीजी, बेन जैसी कंसल्टेंसी कंपनियां भी नहीं आईं। स्टार्टअप भी पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा ऑफर नहीं लाए हैं। पिछले साल आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर के एक-एक छात्र को प्लेसमेंट के पहले चरण में ही 3.7 करोड़ रु. के सालाना पैकेज मिल गए थे। हालांकि इस बार कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (एचएफटी) और क्वांट कंपनियों ने करोड़ प्लस के पैकेज ऑफर किए हैं। ये कंपनियां मैथेमेटिक्स व स्टैटिस्टिक्स से बाजार की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाती हैं। इस बार एल्गोरिदम इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा भाषा विशेषज्ञों की मांग ज्यादा है।

दैनिक भास्कर में
पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि एवं शोक संदेश
BhaskarAd.com से घर बैठे बुक करें
9772019222

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द मॉल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 नेपसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। ग्राम, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विभिन्नेशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप है। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए, कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबर: 0522-3178490;

वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: cscootersindia@gmail.com; अनपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीषधारी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हरदे से भेजा: (ए) सभी वो अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से घोषणाई लिमिटेड / **"बीएसई"** / **"स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) एवं संशोधन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/3508/1 दिनांक 10 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव"** या **"डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय V। के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की बोजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"नीषधारी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा नामांकित स्वेच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रशासित डेनी दिटिग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रशासित डेनी दिटिग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्रत करके डेनी दिटिग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्राथमिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी, लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्रारा होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का नगीन अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता और उसके सी सीएमडी ने प्रशासित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 07 दिसंबर, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई स्विधि छूट;

ii. 24 मई, 2023 को हुई डिलिस्टिंग कमिटी, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एवं एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई, और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। ढाक मापदंड के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है, और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को ढाक मतगय के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियम 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण करना चाहता है, अपूर्णीकृष्टता विनिमय के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और ढेतो से संकीर्ण किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। दिनांक और, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	**भाषा**	**संस्करणों**
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
टैफिक एक्सोलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
टैफिक आकताब	उर्दू	श्री नगर
टैफिक जगण	हिंदी	संयुक्त उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
टैफिक भास्कर	हिंदी	छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्तमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु डे.डी. पार्त	तेलुगु	आंध्र प्रदेश - तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक करम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा किए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक हिस्टेरा महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा यहां नई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पढ़ेत में प्रशासित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान की हैं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी ने छूट प्रदान की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को या सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सी प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित समय सीमा के भीतर भी।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिपूर्ति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी की कम पीएस कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कार्रवाई के लिए पात्रता मानदंड में छूट वहीं नहीं थी, जिस कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक अपूर्णीकृष्टता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सार्वजनिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रशासन के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पात्रता के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेक्अौर शेयरों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को फिर एक संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में दिखें कुल-विनिमेय पद्धति के कारण ये निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. वैधानिक आधार पर, उन्हीं आधारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था ,

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को ईमेल्स आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को वैधानिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) तिथियों की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिथियों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		**बाद में**	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% देटरेंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर वीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अपूर्णीकृष्ट हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सांख्यिकी-सर्मर्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नमक दो सांख्यिकी-समर्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट्स ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम स्वरोगे एंड कंपनी ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेक्अौर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़ा गए डीलिस्टिंग विनियम, जिसकि 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रणालयों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रशासित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 07 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति शेयर करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि इसी दिटिग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेक्अोक्ल विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली दिटिग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेक्अोक्ल विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होना।

5.6. 24 मई,2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिसूचित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली दिटिग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमेदता होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिशत, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) के और शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बहत्तर अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एक्सो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में सभिन 100% प्रतिशत, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बहत्तर और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें मैसर्स गत हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। सिवाये एक 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर' अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्थलीहान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता- डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020, भारत; फोन नंबर: 011 - 26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अपरि) और अपरा का अंतिम दिन):

8.1.1. अधिदेश पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, पथ लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 इक्विटी शेयरों को इलेक्ट्रॉनिकशेयर सेवाओं के माध्यम से वापस देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निदेश की एक फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया है:

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्रात नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्रात होते हैं (जैसा कि मेसे पीपाधित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार की गया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डि

दैनिक भास्कर
रायपुर, शुक्रवार, 08 दिसंबर, 2023 | 13

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग - जगदलपुर

प्रथम निविदा आमंत्रण विज्ञापन क्र. 08

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग - जगदलपुर अंतर्गत 1. कि. ह. - बस्तर एवं बकावण्ड जिला बस्तर में खण्ड स्तरीय समन्वयक केन्द्र (बी. आर. सी. सी.) भवन मरम्मत कार्य, निविदा दरीा रू. 11.35 लाख 2. कि.ह. - जगदलपुर एवं दरभा जिला बस्तर में खण्ड स्तरीय समन्वयक केन्द्र (बी. आर. सी. सी.) भवन मरम्मत कार्य, निविदा दरीा रू. 11.35 लाख 3. कि. ह. - मानसानार, तोकापाल एवं दरभा जिला बस्तर में खण्ड स्तरीय समन्वयक केन्द्र (बी. आर. सी. सी.) भवन मरम्मत कार्य, निविदा दरीा रू. 17.03 लाख हेतु ऑफलाईन निविदा एवंकृता पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। अन्य जानकारी हेतु का.अ. संघा जगदलपुर मो. नं. 9424209020 पर सम्पर्क करें।

सं.-39052 उपायुक्त जगदलपुर

To Book Classified Ads Visit BhaskarAd.com 9772019222

दैनिक भास्कर में
पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि एवं शोक संदेश
BhaskarAd.com से घर बैठे बुक करें
9772019222

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द मॉल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोरफस कोर, एलपूसिनियम के हुई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, विस्तार ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (असेंबलस्य मशीनरी के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।
नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा
C-878/23

The Brihanmumbai Electric Supply & Transport Undertaking (OF THE BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA)

निविदा सूचना

निम्नलिखित वस्तु की आपूर्ति हेतु ई-निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है।

(1) 77549, (2) 77594, (3) 77672, (4) 77716

नोट: अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट https://mahatenders.gov.in पर लॉग ऑन करें।

PRO/AAM(M)/111/2023 महाप्रबंधक

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
CIN : L25111 UP1972GOI003599
पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष नंबर: 0522-3178490;
वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: cscootersindia@gmail.com; अनपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, आँफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीर्षधारी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हरदे से भेजा: (ए) सभी वर्तमान इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से वोलर्स लिमिटेड (**"बोल्सर्स"** / **"स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डिलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/32508/1 दिनांक 10 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग आँफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग आँफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय V। के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"आँफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग आँफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की बोलना/हथाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों से भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीर्षधारी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा व्यक्तिगत इक्विटीधारक के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली दिटेन प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉरपोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्रत करके डेली दिटेन विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से यह प्रबंधक द्वारा अपना हरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्राथमिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईघोष"**) की गई थी। तत्पश्चात् कृपया के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईघो प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पोस्ट-लिपु कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**'शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण' विनियमन, 2011 ("अधिग्रहण विनियम")** के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता और उसे सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 01 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;
ii. 24 मई, 2023 को हुई डिलिस्टिंग रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और
iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कानूनों और फेमवर्क पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। ढाक मापदंड के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है, और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11. 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, वोलर्स ने डीलिस्टिंग विनियम 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग आँफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण करना चाहता है, अपूर्णांकट्टा विनिमय के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और ढेतो से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। दिटर और, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा ('पीए') छूट पत्र और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	**भाषा**	**संस्करणों**
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
टैफिक एक्सोलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
टैफिक आकताब	उर्दू	श्री नगर
टैफिक जगराण	हिंदी	संगूर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
टैफिक भास्कर	हिंदी	पानी और हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ - हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बहरैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु डे.डी. पार्त	तेलुगु	आंध्र प्रदेश - तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले वोलर्स लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक हरिहोल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और वोलर्स लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान मात्रा 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा यहां नई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पढ़ेंगे ने प्रतावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान की। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (डिपॉजिटरी प्रतिभाग और प्रबंधित) आचरणकर्ता) विनियम, 2015 ("एनओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एनओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी ने छूट प्रदान की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एनओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एनओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को या सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सी प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित अवधि पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एनओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी की एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कार्रवाई के लिए पात्रता मानदंड में छूट यानी नहीं थी, जिस पर डीलिस्टिंग विनियम के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि प्रारंभ किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक अपूर्णकट्टता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयावधि को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से वांछित मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक स्वतंत्र वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पात्रता के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को फिर एक संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में दिखें कुछ-विनिमेय पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. भौगोलिक आधार पर, उन्हीं आबादारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था ;

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को ईमेली आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को भौगोलिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) निकासी की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) निकासी के दौरान चाहा निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		**बाद में**	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग आँफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर वोलर्स पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अपूर्णकट्टा हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सांख्यिकी-सांख्यिकी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नमक दो सांख्यिकी-सांख्यिकी चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम स्वरोगे एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़ा गए डीलिस्टिंग विनियम, जिसकि 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रणालकों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रतावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 01 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति शेयर की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि इसी दिटेन ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली दिटेन विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया गया है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होना।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नोटिस के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिसूचित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली दिटेन की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमेदता होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) के आधार शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में जमा 100% तक, पूर्णतः, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1 . डिपॉजिटरीसाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें मैसर्स या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। सिवाये एक "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्थायीलाग पदनिशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट-बी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020, भारत; फोन नंबर: 011 - 26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अपरि) और अपरा का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, पथा लागू अंकित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरीकरणाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निदेश की एक यादाश्त / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया है:

ii. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि मेघे पीपाधित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

iii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिपॉजिटरीसाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खातों से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित

रायगढ़ जिले में घूम रहा 67 हाथियों का दल पुसल्दा में तोड़े मकान, खा गए घरों में रखे धान

भास्कर न्यूज़ | रायगढ़/पुंडु

मंगलवार रात को धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल रेंज में पुसल्दा में 67 हाथियों का झुंड आ पहुंचा। यहां किसानों द्वारा रखे गए धान की खुशबू से हाथी यहां तक पहुंचे थे। कुछ मकानों में तोड़फोड़ की। धान खाने के लिए एक मकान की छत तक उखाड़ दी। दिगम्बर राठिया नामक किसान के मकान में हाथियों के झुंड ने हमला बोला। इनका मकान बस्ती से थोड़ी ही दूर में है। रातभर हाथी आसपास में उत्पात मचाते रहे। खेतों में फसल और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। बुधवार शाम लगभग 40 हाथी पुसल्दा से लगभग दो किलोमीटर एड़ बाजारपारा बरमुडा तालाब के नीचे खेत पहुंचे और यहीं डेरा जमा लिया। शाम 7 बजे हाथी मित्र दल के साथ वन विभाग के कर्मचारियों की टीम गाड़ी के साथ यहां पहुंची। देर रात तक हाथियों को बस्ती से दूर खदेड़ने की कोशिश होती रही। दो दिन से छाल रेंज में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। यहां पुसल्दा और बरभीना के खेतों में फसल खराब करने के साथ हाथियों ने पंप के पाइप उखाड़ दिए और घरों को नुकसान पहुंचाया।

घर की छप्पर उखाड़कर हाथी खा गए धान, बचे अनाज को बटोरती महिला।

गढ़चिरोली ऑपरेशन: डेढ़ लाख में हुआ बाघ की खाल का सौदा

भास्कर न्यूज़ | रायपुर

छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वन विभाग की संयुक्त टीम ने 28-29 नवंबर की दरमियानी रात गढ़चिरोली के जंगलों में कार्रवाई करते हुए बाघ की खाल बेचने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। कार्रवाई में मौके से ही 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी, इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है।

इनके पास से मौके पर ही एक बाघ की खाल और अगले दिन आरोपियों की निशानदेही पर चले सर्चिंग अभियान के दौरान बाघ के नाखून बरामद किए गए थे। चूंकि वन्यप्राणी आर्टिकल्स की कीमत कभी भी सार्वजनिक नहीं की जाती है, यह अनमोल होती है। इस ऑपरेशन के दौरान 25 लाख रुपए में नहीं बल्कि 1 से डेढ़ लाख के बीच बाघ की खाल का सौदा होना पाया गया। दैनिक भास्कर से बातचीत में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक एवं एंटी पोचिंग टीम का नेतृत्व कर रहे आईएफएस वरुण जैन ने बताया कि इस कार्रवाई में संयुक्त रूप से सिर्फ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वन मंडल की टीम शामिल थी।

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष नंबर: 0522-3178490;
वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: cscootersindia@gmail.com; अनपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, आँफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के रजिस्ट्रार के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीषमती"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हरादे से भेजा: (ए) सभी वर्ग अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से वोलंट्री लिमिटेड (**"बीएसई"** / **"स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पर संशोधन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/3508/1 दिनांक 10 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय V। के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की बोलता/हकदं के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीषमती"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रारंभिक स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली दिटेन प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रारंभिक डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमपी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्रति करके डेली दिटेन विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईघोष"**) की गई थी। तत्पश्चात् कंपनी के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**'शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण'**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता बोर्ड ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई स्विच छूट;

ii. 24 मई, 2023 को हुई डिलिस्टिंग कमेटी, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एवं एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फाक्टरों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। ढाक मापत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है, और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को ढाक मापत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण करना चाहता है, अपूर्णीकृष्ठता विनिमय के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और ढेतो से संकीर्ण किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। प्रिंट ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	**भाषा**	**संस्करणों**
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जनसत्ता	हिंदी	संयुक्त उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	पंजाबी और हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बहरीन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु वेडी. पार्त	तेलुगु	आंध्र प्रदेश - तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमुदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एसएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक करार उठाए गए हैं।

2.4. एसएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक हिस्टेरा महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा यहां नई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पढ़ेंगे ने प्रारंभिक डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान की। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्रदान की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सभी प्रतिभूत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी की कम पोस्ट कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कार्पोरेशनों के लिए चालान मानदंड में छूट वाली शर्तें भी, जिस पर डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों की पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक अपूर्णीकृष्ठता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पात्रता के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को फिर एक संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में लिखे कुछ-विनिमेय पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. वैधानिक आधार पर, उन्हीं आधारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था ,

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को डिमाटी आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को वैधासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) तिथियों की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिथियों के दौरान चहत निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समयपत्र पत्र के प्रस्ताव की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		**बाद में**	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अपूर्णीकृष्ठ हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सालवर्मी-वर्मासिक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होना।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नमक दो सालवर्मी-वर्मासिक चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम स्वरोगे एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़ा गए डीलिस्टिंग विनियम, जिसकि 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रणालगतों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स वैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि इसी दिटेन ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली दिटेन विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति डीलिस्टिंग शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिसूचित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली दिटेन की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमेदता होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिशत, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) के आधार शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एक्सो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एक्सो बैंक की लखनऊ शाखा में "सकूर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में सभी 100% फ्रीसता, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1 . डिपॉजिटरीसाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। सिवाये एक "स्कूर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्वचालितान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता- डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020, भारत; फोन नंबर: 011 - 26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अपरि) और अपरा का अंतिम दिन):

8.1.1 ऑफर पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, पश्च लागू अंकित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट रखने वाले में डीमैटरीयलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निदेश की एक कार्टरानोट्स / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया है:

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्को खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि मेघ पीपफिात किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिपॉजिटरीसाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्को खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

| एस्को खाते का नाम | स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टि

दैनिक भास्कर | देश-विदेश | खंडवा, शुक्रवार 08 दिसंबर, 2023 | 11

तुर्किए: अतातुर्क एयरपोर्ट से सर्दियों में भी उड़ान भर सकें, इसलिए बर्फ तोड़ने वाले वाहन तैनात

इस्तांबुल | तुर्किए की राजधानी इस्तांबुल से सर्दियों में भी उड़ान भरी जा सके, इसलिए खास वाहनों का बेड़ा मंगाया गया है। ये वाहन अतातुर्क एयरपोर्ट पर रनवे से बर्फ साफ करेंगे। इन वाहनों में हिमपात हटाने और बर्फ तोड़ने की मशीनें लगाई गई हैं। सर्दियों में रनवे पर बर्फ भी जम जाती है।

सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाएं सभी देशः डब्ल्यूएचओ

एजेंसी | **जिनेवा.** वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने सभी देशों से सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की कहा है। डब्ल्यूएचओ की ऐसी अपील के पीछे शुगर संबंधी उत्पाद के सेवन को कम करना है। अनहेल्दी डाइट की वजह से हर साल 80 लाख लोग मरते हैं। संस्था ने शराब पर भी टैक्स बढ़ाने की कहा है। शुगर संबंधी उत्पाद के उपयोग पर डब्ल्यूएचओ की वैश्विक रिपोर्ट-2023 में ने यह बात कही है।

दंपती में किसी को भी हाई बीपी तो दूसरे को भी होने की आशंका, भारत में 19% तो चीन में 26%: शोध

एजेंसी | वाशिंगटन. आप आफे पति या पत्नी को हाई बीपी है तो अपना भी चेक करा लें। आपको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हर्ट एसोसिएशन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अगर दंपती में से किसी एक को हाई बीपी है तो जल्द ही दूसरे को भी होने की आशंका होती है। भारत-चीन समेत दुनिया के 4 देशों के लोगों पर हुई शोध के मुताबिक, दुनिया भर में वह रहे बीपी के मरीजों में सबसे ज्यादा वे लोग हैं, जिनके साथी को हाई बीपी है। इसमें भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को खतरा है। जो महिलाएं हाई बीपी के मरीज से शादी करती हैं, उन्हें बीपी होने की आशंका बढ़ जाती है। भारत में ऐसा होने की आशंका 19% है, जबकि चीन में यह 26% है। यानी हर चौथी महिला को पति की वजह से बीपी की बीमारी हुई है।

2022 में मिनी स्कर्ट्स, इस साल हॉट पैंट का फैशन रहा

एजेंसी | वाशिंगटन. फैशन इंडस्ट्री और फैशनेबल लोग हमेशा कुछ नए की तलाश में रहते हैं। यही वजह है कि फैशन ट्रेंड हर साल बदलता रहता है। ग्लोबल शॉपिंग प्लेटफॉर्म लिस्ट की ईयर इन फैशन रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में मिनी स्कर्ट्स फैशन ट्रेंड था। इस साल हॉट पैंट और बैलेट फ्लैट्स का सबसे ज्यादा ट्रेंड रहा। पिछले साल कयास लगाए गए थे कि अब लंबी पोशाक फैशन ट्रेंड बनेगी।

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष नंबर: 0522-3178490;

वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: cscootersindia@gmail.com; अनपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हरादे से भेजा: (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, और (बी) परिणामस्वरूप स्क्वेज्ञा से वोलर्स लिमिटेड / **"बोल्स्क्वे" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) एवं संशोधन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/32508/1 दिनांक 10 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय V। के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की बोलना/हवाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके आलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जहां के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा नामांकित स्वीकृत डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेनी टिटन प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेज्ञा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्रस्ताव करके डेनी टिटन विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्राथमिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेज्ञा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों पर वापस अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गठन के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता और से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 00 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 को हुई डिलिस्टिंग कमिटी, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एवं एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत की गई, और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कानूनों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेज्ञा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। ढाक मापज के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है, और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके आलावा, बोलर्स ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण करना चाहता है, अपूर्णीकृष्ट विनिमय के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेतो से संकीर्ण किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। दिटा और, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	**भाषा**	**संस्करणों**
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
टैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
टैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
टैनिक जगराण	हिंदी	संगूर्ग उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
टैनिक भास्कर	हिंदी	छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बहरैमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु डे.डी. पार्त	तेलुगु	आंध्र प्रदेश - तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमुदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक हिस्टेरा महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा यहां नई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पढ़ेत में प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान की हैं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्रदान की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सी प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित समय सीमा के भीतर बनाए रखा जाना है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी की एक पेशेवर कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कार्पोरेट्स के लिए पाक्षा मानदंड में छूट वर्ती थी, जिस कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि प्रस्ताव किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक अपूर्णीकृष्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का ००% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पात्रता के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को फिर एक संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में दिखें कुल-विनिमेय पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. भौगोलिक आधार पर, उन्हीं अक्षरों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को हिमाती आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को भौगोलिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) तिथियों की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिथियों के दौरान चाहा निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समर्थन पत्र के प्रस्ताव की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		**बाद में**	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बोल्सक्वे पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अपूर्णीकृष्ट हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सांख्यिकी-सर्वेक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नमक दो सांख्यिकी-सर्वेक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम स्वरोगे एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़ा गए डीलिस्टिंग विनियम, जिसकि 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रभागपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 00 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि इतेी टिटन ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली टिटन विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति डीलिस्टिंग शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होना।

5.6. 24 मई,2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिसूचित किया गया था।

6. यह अवगत किसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली टिटन की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमेदता होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्वे खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-टिलिटरा विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) के और अन्य शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्वे राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्वे बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्वे समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्वे समझौता खोला है। एस्क्वे बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्वे अकाउंट" के नाम से एस्क्वे खाता खोला अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्वे खाते में सचिव 100%, प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1 . डिपॉजिटरीसाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रेसेंट पा हाथ से डिलीवरी पा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट पा कूरियर द्वारा (अपने जीडिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। सिवाये पा "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्थापित पाइनीयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता- डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020, भारत; फोन नंबर: 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अपरि, और अवधि का अंतिम दिन):

i. अधिकार पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, पथ लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.1 डीमैट रखने वाले में डीमैटरीकरणाइज इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निदेश की एक कार्टरायल्ड / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया है:

ii. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्वे खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि मेघे परिपाटित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

iii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिपॉजिटरीसाइज इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस

देश-विदेश

dainikbhaskar.com | दैनिक भास्कर, ग्वालियर, शुक्रवार, 8 दिसंबर, 2023 | 13

सर्दियों की छुट्टी में ज्यादा आत्महत्याओं का दावा नए शोध में गलत साबित हुआ

TIME
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

न्यूयॉर्क। सुसाइड की घटनाओं को लेकर अक्सर यह दावा किया जाता है कि यह ठंड के समय में बढ़ जाती हैं। साथ ही सर्दियों की छुट्टियां सुसाइड की घटना घटने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी की शोध ने इसके उलट दावा करते हुए कहा है कि सर्दियों में सुसाइड की घटनाएं नहीं बढ़ती हैं। यूनिवर्सिटी के पब्लिक पॉलिसी सेंटर के शोध निदेशक डैन रेमर ने 1,500 से अधिक अमेरिकी वयस्कों से सवाल किया कि उन्हें क्या लगता है कि सुसाइड की घटना सबसे ज्यादा किस माह में होती है? सर्वे में शामिल लोगों में से 81% लोगों ने दिसंबर माह में होने की बात कही। रेमर के अनुसार सुसाइड घटनाओं का आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर महीनों के दौरान अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। उनका कहना है कि लोगों की ऐसी धारणा के पीछे कल्चरल मान्यताएं हो सकती हैं।

विमान कंपनियों को नकली पार्ट्स बेचे तंदन | विमान कंपनियों को नकली जेट इंजन और नकली पार्ट्स बेचने के आरोप में ब्रिटेन के जोस एलेजांद्रो जमोरा यारागा को गिरफ्तार किया गया है। 35 साल के जमोरा की कंपनी एओजी टेक्निक्स लिमिटेड पर दुनियाभर में 126 कमर्शियल कंपनियों को नकली पार्ट्स सप्लाई करने का आरोप लगा है।

शादी में खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, ₹40 हजार मुआवजा

एर्नाकुलम। केरल के एर्नाकुलम में शादी की पार्टी में खाने से बीमार पड़ने पर पीड़ित को 40 हजार रुपए का मुआवजा मिला है। उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में कहा कि केटरर ने लापरवाही बरती। इसकी वजह से पीड़ित को परेशानी हुई। डायरिया होने की वजह से उसे तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। केटरर को 11,845 रुपए इलाज के खर्च के तौर पर भी देने पड़ेंगे। पीड़ित ने यह भी बताया कि पार्टी में खाने के बाद वह अकेला बीमार नहीं पड़ा था। और भी कई लोगों के पेट में दर्द हुआ। कुछ लोगों को उल्टियां भी हुईं।

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष नंबर: 0522-3178490;

वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: cssootersindia@gmail.com; अनपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रेफेरेन्शल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"नीयमती"**) कर रहे हैं। (जिसे बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हद्दों में भेजा: (ए) सभी वर्तमान इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामकारण स्वेच्छा से घोषणाई लिमिटेड (**"बीएसई"** / **"स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डिस्टिंट प्रस्ताव देकर, जिसे अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक क्रमांक द्वारा दी गई द्वा अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) एवं संशोधन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/3508/1 दिनांक 10 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। एक क्रमांक. SEBI/HO/CFD/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव"** या **"डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय V। के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की बोलगा/हजारों के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"नीयमती"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा उनसे संबंधित इक्विटी के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली टिंटिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉरपोरेट प्रेफेरेन्शल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्रस्ताव करके डेली टिंटिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईघोष"**) की गई थी। तद्नुसार कंपनी के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गठन के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता और से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंज़ूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 01 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंज़ूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की पूर्व डिलिस्टिंग रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई, और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंज़ूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। ठाक मापत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंज़ूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है, और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंज़ूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11. 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंज़ूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण करना चाहता है, अपूर्णीकृष्ट विनिमय के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और ढेतो से संकीर्ण किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। टिंट ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा ('पीए') छूट पत्र और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	**भाषा**	**संस्करणों**
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
टैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
टैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
टैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
टैनिक भास्कर	हिंदी	छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्तमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु डेली, वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश - तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमुदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंज़ूरी ले दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा यहां नई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पढ़ीत में प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान की हैं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्रदान की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सी प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित अवधि पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी की एक पीएस कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कार्रवाई के लिए पात्रता मानदंड में छूट सभी नहीं थी, जिस कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक अपूर्णीकृष्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयावधि को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पात्रता के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को फिर एक संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में दिखाई कुल-विनिमय पद्धति के कारण ये निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. वैधानिक आधार पर, उन्हीं आधारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को हिमायी आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को वैधानिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) तिथियों की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिथियों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समयपत्र पर के प्रस्ताव की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		**बाद में**	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अपूर्णीकृष्ट हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सांख्यिकी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नाथ से सांख्यिकी चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट्स ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम स्वरोगे एंड कंपनी ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़ा गए डीलिस्टिंग विनियम, जिसकि 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रणामपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंज़ूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 01 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति शेयर की मंज़ूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रेफेरेन्शल वैल्यिल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि इसी डिटेंट ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली टिंटिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई,2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिसूचित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली टिंटिंग की तारीख से दो सात तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमेदता होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिशत, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) के आधार शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एक्सो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में सभिल 100%, प्रभिमत, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1. डिपॉजिटरीसाइज फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रेमेत या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। सिवाये कि 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर' अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता- डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020, भारत; फोन नंबर: 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अपरि) और अपरा का अंतिम दिन):

8.1.1. ऑफर पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, पश्च लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एक्सो खाते में डीमैटरीकरणाइज इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निदेश की एक काउंटरपार्ट / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया है:

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एक्सो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि मेरे पीपीमति किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिपॉजिटरीसाइज इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एक्सो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

एक्सो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी प्रतिभागी का नाम	निक्षेत्र सीमित कॉरपोरेट सर्विसेज
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

**कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांत

दैनिक भास्कर | विविध | रतलाम, शुक्रवार, 08 दिसंबर 2023 | 11

अनसिक्योर्ड लोन पर रिजर्व बैंक की सख्ती का असर

बैंकों ने फिनटेक पार्टनर से छोटे पर्सनल लोन कम करने को कहा

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

बैंकों और गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) ने अपने-अपने फिनटेक पार्टनर्स से छोटे पर्सनल लोन में कटौती करने के लिए कहा है। ये कदम हाल ही में रिजर्व बैंक की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती बरते जाने के बाद उठाया गया है। बैंकों और एनबीएफसी के इस कदम का असर भी दिखने लगा है। पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन्स ने बुधवार को 50,000 रुपए से कम के कर्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कटौती करने का ऐलान कर दिया।

छोटे पर्सनल लोन से बच रहे बैंक: देशभर के ज्यादातर बैंकर अब छोटे पर्सनल लोन देने से बच रहे हैं। दरअसल फिनटेक को लोन देने वाले एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के टॉप बैंकर ने कहा, 'आरबीआई की तरफ से स्पष्ट संकेत है, इसलिए हम ऐसा करेंगे।' उन्होंने कहा, 'हमने अपने फिनटेक पार्टनर्स से कहा है कि हम 50,000 रुपए से कम के लोन नहीं देना चाहते हैं।'

फिनटेक इंडस्ट्री की ग्रोथ कम होकर 12-14% रह जाएगी

फंडनेशियल सर्विसेज कंपनी मैकेरी का अनुमान है कि भारत में फिनटेक इंडस्ट्री की लोन ग्रोथ 15% से घटकर 12-14% रह जाएगी। एक अन्य बैंकर ने कहा कि जिस सरकारी बैंक में वह काम करता है, उसने अपने फिनटेक पार्टनर्स को चुनिंदा छोटे लोन जारी करने के लिए कहा है।

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द मall, पटियाला- 147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइट : www.pspcl.in
यमकें : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: वपु-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसईबी कॉलोनी 21,220 नंबर, अमृतसर-अहमदगढ़ रोड, नीलम चौराहा, 10 किलोमीटर, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अभिमोरक ऑयल, एन्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। भाव, विवरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार टिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप है। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से **https://eproc.punjab.gov.in** देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, **https://eproc.punjab.gov.in** ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

OFFICE OF NAGAR PARISHAD RAJGARH DISTT- DHAR

NIT No. 820 Dated: 05-12-2023

Notice Inviting Tender (2nd Call)

ONLINE BIDS ARE INVITED FROM REGISTERED CONTRACTORS/ FIRMS OF REPUTE FOR WORK OF AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SYSTEM OF RAJGARH TOWN UNDER AMRUT 2.0, E-TENDER ID NO: 2023_UAD_318514_1 PROBABLE AMOUNT RS. 1596.34 LACS, EMD RS. 7,98,169.00, COST OF BID DOCUMENT RS. 30,000/-, LAST DATE AND TIME OF SUBMISSION OF BID : 23-12-2023 & TIME: 17:30 HRS*

*ALL OTHER DETAILS ARE PUBLISHED ON WEBSITE WWW.MPTENDER.GOV.IN, FURTHER INFORMATION OR CLARIFICATION (IF ANY) SHALL BE PUBLISHED ON WEBSITE ONLY, AND NOT IN NEWSPAPER.

SURENDRASINGH PANWAR	DEEPAK JAIN	MRS SAVERA JAISWAL
CMO	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष नंबर: 0522-3178490;
वेबसाइट: www.scootersindia@gmail.com; ईमेल: cscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीषधारी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हाथे से भेजा: (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से वोलर्ड लिमिटेड (**"बोलर्ड"** / **"स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) एवं संशोधन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/3508/1 दिनांक 10 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। एक क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव"** या **"डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय V। के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से सभी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर देते रहे हैं।

1.2.भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/हकदों के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंट विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीषधारी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** द्वारा प्रारंभिक स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली दिटिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रारंभिक डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया।

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमपी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्रत करके डेली दिटिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का प्रारंभ व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से यह प्रबंधक हुआ अपना हाराव व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईघोष"**) की गई थी। तत्पश्चात कंपनी के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रारंभ दिया गया।

1.6. आईघो प्रारंभ होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, ट्रैक्टिशनर कंपनी सेक्रेटरी को एक पोस्ट-लिपु कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गठन के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता और से सीएमपी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;
ii. 24 मई, 2023 की पूर्व डिलिस्टिंग रिपोर्ट, पैनल लिपु कंपनी सचिव अमित गुप्ता एवं एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और
iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। ठाक मात्रक के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है, और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण करना चाहता है, अपूर्णीकृत्त विनिमय के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और ढेतो से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। दिटर और, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पैर) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	**भाषा**	**संस्करणें**
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
टैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
टैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
टैनिक जगराण	हिंदी	संगूर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
टैनिक भास्कर	हिंदी	पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ : हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकमत	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्तमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु डे.डी. पार्त	तेलुगु	आंध्र प्रदेश - तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमुदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के एक क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एसएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक करम उठाए गए हैं।

2.4. एसएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक हिस्टेदारी महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान मात्रा 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा यहां नई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पढ़ेत में डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान की हैं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (डिपॉजिटरी प्रतिभाग और प्रबंधित व्यवसायकर्ता) विनियम, 2015 ("एनओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्रदान की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम चार स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सी शेयरहोल्डिंग डीमैटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित अवधि पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी की एक पेशेवर कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कार्पोरेट्स के लिए पाक्षा मानदंड में छूट वाली भी थी, जिस कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि प्रारंभ किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक अपूर्णीकृत्त की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयावधि को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक स्वीकार वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पत्रकों के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को फिर एक बोचर में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में दिखें कुल-विनिमय पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. भौगोलिक आधार पर, उन्हीं आबादों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को डिमाट आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को भौगोलिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए उनके के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) तिथियों की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिथियों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समयावधि पर के प्रस्ताव की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		**बाद में**	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% हिटेदारी मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अपूर्णीकृत्त हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सांख्यिकी-सर्मर्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नमक दो सांख्यिकी-सर्मर्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट्स (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015094सी और मेसर्स ओम स्वरोगे एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़ा गए डीलिस्टिंग विनियम, जिसकि 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रणालयों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति शेयर की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डिली दिटिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली दिटिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंट विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होना।

5.6. 24 मई,2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिसूचित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली दिटिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंट विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमेदता होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) के आधार शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 16,99,66,622.28/- भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बहाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिट विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता खोला अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में राशि 100% जमिनता, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बहाईस अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिए हैं।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1 . डिलिस्टेकताओ फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंट ऑफर में अपने इक्विटी शेयर का इच्छुक हैं, उन्हें मैसर्स तय हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। सिवाये एक 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंट ऑफर' अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंट ऑफर पहुंच सके, स्थापित्वान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता- डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020, फोन नंबर: 011 -26812682/83 श

भारत की दो टूक; पाक में दुबके वांटेड यहां कानून का सामना करें

आतंकियों के मारे जाने पर टिप्पणी से इनकार

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली, भारत ने पाकिस्तान में दुबके वांटेड आतंकियों को दो टूक हिदायत दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों के हमलों में भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की मौत के सवाल पर कहा कि हम चाहते हैं कि आतंकी भारत लौटें और यहां कानून व्यवस्था का सामना करें। हालांकि, बागची ने पाक में अपराधियों के मारे जाने पर टिप्पणी से इनकार किया। बागची का बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान में भारत के 22 मोस्ट वांटेड आतंकियों का अज्ञात बंदूकधारियों के साथी सफाया हो चुका है।

एफबीआई निदेशक भारत आएंगे, एनआईए पन्नू का मामला उठाएंगी

नई दिल्ली। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (संघीय जांच ब्यूरो) के निदेशक क्रिस्टोफर रे अगले सप्ताह भारत आएंगे। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने इस दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि भारत हमारे लिए अहम साझेदार देश है। सूत्रों के अनुसार एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर के साथ मुलाकात के दौरान एनआईए और सीबीआई के अधिकारी अमेरिका में बसे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का मुद्दा उठाएंगे।

मिचौंग चक्रवात के बाद चेन्नई में आई बाढ़, सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया

चेन्नई | मिचौंग चक्रवात के बाद चेन्नई में आई बाढ़ में अपने सामान के साथ गुजरती एक महिला। चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा राज्य भारी बारिश और तेज हवा की वजह से भारी छति का सामना कर रहे हैं। चक्रवात की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हुई है।

126 विमान कंपनियों को नकली पार्ट्स बेचे

तंदन | विमान कंपनियों को नकली जेट इंजन और नकली पार्ट्स बेचने के आरोप में ब्रिटेन के जोस एलेजांद्रो जमोरा याराला को गिरफ्तार किया गया है। 35 साल के जमोरा की कंपनी एओजी टेक्निक्स लिमिटेड पर दुनियाभर में 126 कमर्शियल कंपनियों को नकली पार्ट्स सप्लाई करने का आरोप लगा है।

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबर: 0522-3178490;

वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: cscootersindia@gmail.com; अनपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीर्षधारी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हरदे से भेजः (ए) सभी वो अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से वोलेंट्री लिमिटेड (**"वोलेंट्री"** / **"स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुपालन और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पर संशोधन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/3508/1 दिनांक 10 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय V। के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके आलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीर्षधारी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा नामांकित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेलॉइट टूचे तोहमात्सु इंडिया एलएलपी, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डेलॉइट टूचे तोहमात्सु इंडिया एलएलपी, 2021 को एक मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया।

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमपी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्रति करके डेलॉइट टिटि विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का प्रारंभ व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना प्रारंभ व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्राथमिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। तदनुसार के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्रारंभ होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता और उसे सीएमपी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 00 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 को हुई डिलिस्टिंग कमिटी, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एवं एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत की गई, और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायर्स पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। ढाक मापदंड के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है, और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, चौधरी ने डीलिस्टिंग विनियमों के 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण करना चाहता है, अपूर्णीकृष्टता विनिमय के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और ढेतो से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। रिटर्न ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	**भाषा**	**संस्करणों**
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
डैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
डैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
डैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
डैनिक भास्कर	हिंदी	पंजाबी और हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्तमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु वेडी. पार्त	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमुदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले वोलेंट्री लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा यहां नई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पीठ ने प्रतिभूति डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान की हैं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्रदान की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम छह स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को या सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सी प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित समय सीमा के भीतर या बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी की एक पीठ कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कार्रवाई के लिए पात्रता मानदंड में छूट वाली शर्तें थीं, जिस पर डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, शानदीप पूरान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक अपूर्णीकृष्टता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत डेलॉइट विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को फिर एक संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में दिखें कुल-विनिमेय पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. भौगोलिक आधार पर, उन्हीं आबंधों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को हिमाती आधार पर अनुपाती संपदा भेजें, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को भौगोलिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) निकायों की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) निकायों के दौरान चाहा निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समयपत्र पत्र के प्रस्ताव की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		**बाद में**	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर वोलेंट्री पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अपूर्णीकृष्ट हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सालवर्ती-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नमक दो सालवर्ती-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट्स ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015094सी और मेसर्स ओम स्वरोगे एंड कंपनी ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़ा गए डीलिस्टिंग विनियम, जिसकि 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रणालगतों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 00 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति शेयर की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स वैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि इसी दिन ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली दिटि विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई,2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिसूचित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली दिटि की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमेदता होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिशत, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) के आधार शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 16,99,66,622.28/- भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में सचिव 100% प्रतिशत, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1 . डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें मैसर्स पा हाथ से डिलीवरी पा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। सिवाये पा "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्थानीयता फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता- डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020, भारत, फोन नंबर: 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अपरि) और अपरा का अंतिम दिन):

8.1.1 अधिकार पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, पश्चा लागू अंकित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट रजिस्टर खाते में डीमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का प्रमाण देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश के एक कार्टरायडेल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया है:

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्को खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि मेरे पीपफाित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिपॉजिटरीप्रतिभाग इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खातों से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्को खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

एस्को खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी प्रतिभाग का नाम	निक्षेत्र सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
एस्को का आईएसआईएन	INE959E01011

**कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्

दैनिक भास्कर
नर्मदापुरम, शुक्रवार, 8 दिसंबर, 2023 | 9

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.जी. मुख्य कार्यालय, द मॉल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पुछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, पुराने मंत्रिमंडल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 2.1,220 केवर, आईएसआई मार्क, सीन पत्रना, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए क्यूएच 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।
नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा
C-878/23

NOTICE INVITING TENDER

Ref. No. : MPSEDC/MKT/2023/529 Dated 07.12.2023
Online Tenders are invited for Selection of Service Provider to Setup and Operate Call Center. Interested eligible bidders can view/download the RFP from **www.mptenders.gov.in.** First time users of this portal will be required to register online with payment of registration charge.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. STATE ELECTRONIC DEV. CORPN. LTD.
State IT Centre, 47 "A" Arera Hills, Bhopal-462011 M.P.
Tel. 0755-2518605/742, Email : marketing@mpsedc.com
Website : www.mpsedc.mp.gov.in
M.P. Madhyam/112661/2023

OFFICE OF NAGAR PARISHAD RAJGARH DISTT- DHAR

NIT No. 820 Dated: 05-12-2023

Notice Inviting Tender (2nd Call)

ONLINE BIDS ARE INVITED FROM REGISTERED CONTRACTORS/ FIRMS OF REPUTE FOR WORK OF AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SYSTEM OF RAJGARH TOWN UNDER AMRUT 2.0, E-TENDER ID NO: 2023_UAD_318514_1 PROBABLE AMOUNT RS. 1596.34 LACS, EMD RS. 7,98,169.00, COST OF BID DOCUMENT RS. 30,000/-, LAST DATE AND TIME OF SUBMISSION OF BID : 23-12-2023 & TIME: 17:30 HRS*
*ALL OTHER DETAILS ARE PUBLISHED ON WEBSITE WWW.MPTENDER.GOV.IN. FURTHER INFORMATION OR CLARIFICATION (IF ANY) SHALL BE PUBLISHED ON WEBSITE ONLY, AND NOT IN NEWSPAPER.

SURENDRASINGH PANWAR	DEEPAK JAIN	MRS SAVERA JAISWAL
CMO	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH

// कार्यालय जनपद पंचायत शाहपुर, जिला-बैतूल //

क्रमांक/1943/सा.प्रा.जन.पं.शाह./2023-24 शाहपुर, दिनांक: 4/12/2023

-:: विज्ञप्ति ::-

जनपद पंचायत शाहपुर को पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत निम्नांकित निर्वाई जलाशय शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार 10 वर्षीय मालगुजारत/विकास के लिए पट्टे पर दिया जाना है। अतः निर्धारित प्रारूपिकता रखने वाले पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों/स्व सहायता मछुआ समूहों/व्यक्ति विशेष के आवेदन पत्र दिनांक 30/12/2023 तक कार्यालय जनपद पंचायत में अपरान्ह दिनों को छोड़कर अनिवार्य रूप से जमा करें।

क्र.	जलाशय/तालाब	विकास खण्ड	जलक्षेत्र (हेक्टे.में)	निर्धारित प्रारूपिकता
1	2	3	4	5
1	गोरीबाना जलाशय	शाहपुर	11.83 हेक्टेयर	अ. पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति
2	मोखा जलाशय	शाहपुर	58.66 हेक्टेयर	ब. स्व सहायता मछुआ समूह
3	ऐरावाड़ी जलाशय	शाहपुर	22.25 हेक्टेयर	स. व्यक्तिविशेष

क्रियाशील पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति का प्रस्ताव-उक्तरण, स्वरूप सूची एवं गत 03 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जलाशय की पट्टा राशि एवं शासन प्रचुरी जो भी निबंध की जावेगी, उसे मान्य करना होगा। अनुबंध का पंजीयन कराना होगा। जलाशय की निर्धारित लीज राशि नियत समय पर जमा कराना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र एवं विस्तृत नियम/शर्तों की जानकारी कार्यालय जनपद पंचायत शाहपुर, सहायक संचालक मत्स्योद्योग फैक्ट्री में देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत शाहपुर

सावधिजनक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599
पंजीकृत कार्यालय: 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष नंबर: 0522-3178490;
वेबसाइट: www.scootersindialimited.com; ईमेल: csscootersindia@gmail.com; अनपालन अधिकारी: श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रेक्टेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑडर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अजित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। इसके बाद, **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हाथों से भेजा: (1) पत्रों का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है, और (बी) पीएसबकपत्र स्वेच्छा से कोलाई लिमिटेड (**"कोलाई"** / **"स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर व्यापार में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के इस क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव"** या **"डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1. अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2. भारत सरकार (**"ओओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहणकर्ता जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अजित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्यवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली रिटेन प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर को नियुक्त के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधन के रूप में कार्य करने के लिए कॉरपोरेट प्रेक्टेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया।

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ सेबी को कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली रिटेन विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और पीएमएकस्कर डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आंशिक प्रगत होने पर, कंपनी ने 7 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीमा अमित गुप्ता, ट्रेडिंगसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पोस्ट-रिलु कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियम, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रारंभिक स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;
ii. 24 मई, 2023 की शुद्ध डीलिस्टेड रिपोर्ट, पैनल लिस्ट् कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और
iii. डीलिस्टिंग के विधिक प्रावधानों का पालन करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। उक्त मामलक के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:
(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।
(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होगा है, और
(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.10. कंपनी ने 05 जून, 2023 को फेयरलट कैलेंट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पेस्टल कैलेंट का नोटिस भेजा था।

1.11. 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से एकोर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, अनुपस्थिदत्त विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दायित्व के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। रिटेन ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा ('पीए') इस पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आस्तथ	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संयुक्त उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़ा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	पंजाब और चंडीगढ़ - हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
खटरीन	कन्नड़ी	दक्षिण कोंकण
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश - तेलंगना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमुदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़ा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उसपोस एक के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी ने प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक डीलिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार पिछलाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अक्सर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूट प्रदान की। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी ने छूट प्रदान की वह हैं, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रोमोटर (**"ओ"**) और प्रमोटर समूह की सभी प्रतिभूति डीमैटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 की प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव की अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों का पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के प्रक्रिया की छूट के अनुसार 42 के तहत छूट के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सार्वजनिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारित का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और फ्लोरप्राइस के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा लिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों को पहले स्वीकृति हुई थी या बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. भौगोलिक आधार पर, उन्हीं अवधारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की घोषणा की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को हिमाही आधार पर अनुकर्ती संचार भेजें, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को वैधानिक फ्लाई रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) हिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) हिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

विवरण	पूर्व		बाद में	
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अमूर्यावद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सालकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स गाबरू दे सालकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए) टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड के अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रेक्टेशनल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि ऐसी रिटेन ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए ऐसी रिटेन विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अवगत्रित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली रिटेन की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए निम्नेतर होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एसको खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिलत, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को और शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाइस पैसे मात्र) (**"एस्को राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्को बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्को समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्को समर्पित खाता है। एस्को बैंक की लखनऊ शाखा में 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्को अकाउंट' के नाम से एस्को खाता (अधिग्रहणकर्ता के पास 13 जुलाई, 2023 को एस्को खाते में शामिल 100% प्रतिशत, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाइस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिएटरिंगलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर सेट के इच्छुक हैं, उन्हें मिलन या हाथ से डिलीवरी

दैनिक भास्कर

भोपाल, शुक्रवार, 8 दिसंबर, 2023 | 13

The Brihanmumbai Electric Supply & Transport Undertaking
(OF THE BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA)

निविदा सूचना

निम्नलिखित वस्तु की आपूर्ति हेतु ई-निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है।

(1) 77549, (2) 77594, (3) 77672, (4) 77716

नोटः अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट https://mahatenders.gov.in पर लॉग ऑन करें।

PRO/AAM(M)/111/2023 — महाप्रबंधक

पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द मॉल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइट : www.pspcl.in
समण्ड : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्याः क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, लेल जुबे हुए, सीआरजीओ/आमोरफस कॉर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। धाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।
नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा — C-878/23

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधो. वि. निगम
कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग सागर भदभदा रोड, भोपाल
क्रमांक/791 /तशा/मप्रपुराका/पय/सागर/2023 दिनांक : 06.12.2023

विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा भोपाल जिले में बाह्य विद्युतीकरण कार्य 33/0.4 के.व्ही. 2x500 के.व्ही.ए. का कार्य 80।160 बहुमंजिला आवास गृह पिपलानी, भोपाल हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा क्रमांक 2023 MPPHC_318302_1 दिनांक 20.12.2023 समय 17:00 बजे तक खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : https://www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/112669/2023 — परियोजना यंत्री

NOTICE INVITING TENDER

Ref. No. : MPSEDC/MKT/2023/529 Dated 07.12.2023
Online Tenders are invited for Selection of Service Provider to Setup and Operate Call Center. Interested eligible bidders can view/download the RFP from www.mptenders.gov.in. First time users of this portal will be required to register online with payment of registration charge.
CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. STATE ELECTRONICS DEV. CORPN. LTD.
State IT Centre, 47 "A" Arera Hills, Bhopal-462011 M.P.
Tel. 0755-2518605/742, Email : marketing@mpsedc.com
Website : www.mpsedc.mp.gov.in
M.P. Madhyam/112661/2023

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः cscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के रजिस्ट्रीकृत के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अभिषेक गोयनका, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीएचडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित हाथे से भेजा: (ए) सभी वर्तमान इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, और (बी) परिणामकारक स्वरूप में वॉरंट्स लिमिटेड (**"वॉरंट्स"** / **"स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डिलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत सेबी/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से जारी हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अणय V। के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी की 6.13% प्रतिशतिक वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) खरीद करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर देते हुए हैं।

1.2.भारत सरकार (**"ओओआई"**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-V।, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी डिलिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"शीएचडी"**) **श्री अभिषेक गोयनका** द्वारा अनुसचित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्यवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली दिटेंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की नियुक्त किया।

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ सेबी से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली दिटेंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। जारी कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव पूरा करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से सेबी से स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्रारा होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याय अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गगना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया:

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 को हुई डिलिस्टिंग रिपोर्ट, शेयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई;

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और पहलुओं पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। उक्त मतलब के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की कि:

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**) के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है, और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1.0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11. 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेयर 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण करना चाहता है, अनुमोदित्ता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेलों से संबंधित किसी भी अन्य दलालेय के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। निदेश ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा ('पीए') छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एकोलेसिया	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आस्तामा	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नड़ा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	पश्चिमी और दक्षिणांचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ - हिमाचल प्रदेश, बिहार - झारखंड
लोकमत	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
व्हर्गैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु उ.डी. पार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश - तेलंगाना
हिन्दू	तमिलनाडु	
केरल कौमदी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नड़ा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-V। दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले डीमैट शेयरों के कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्टिंग की मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त एक के अनुसार आवश्यक कदम उठा गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा दिए गए निर्णय को शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों में अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 37,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार पिलताहत बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान मात्र 1.79% कारोबार हुआ है।

2. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार है:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित में प्रशासित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान की। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('एलओडीआर विनियम') के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिससे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सी प्रतिशत शेयरधारिता डीमैटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित आधार पर बनाए रखा जाना है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी की एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए चालू मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों की पूर्ण करती थी, शत्तांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. त्वैधिक अनुपस्थिदृता की प्रक्रिया की पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से वांछित कूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रहने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और पात्रकों के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत डेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उनके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को फिर गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में लिखे गए-भिन्नेंगे पद्धति के कारण से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अगर इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रहेगी, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी या बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. नैसार्गिक आधार पर, उन्हीं आधारों में जिन पर सेबी द्वारा प्रशासित की जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की घोषणा प्रशासित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। ,

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजे, और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को नैसार्गिक प्रगति रिपोर्ट दर्शित करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा:

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समय एक के प्रयोजन की दिशि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

विवरण	पूर्व		बाद में	
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर वॉरंट्स पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर अमूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र 3 उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सालकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नाकड़ टो सालकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट्स ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी ('पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। डेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 05 अक्टूबर, 2022 के अपने ज्ञापनामों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति शेयर की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि ऐली दिटेंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए ऐली दिटेंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वश्रेष्ठ हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निक्रास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31.78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के व्यौरे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अभिसूचित किया गया था।

6. यह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को ऐली दिटेंग की तारीख से दो माह तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए विमोचित होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एक्को खातों का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-रिमिटेंस विनियमों के तहत देय प्रीमियम, प्रति इक्विटी शेयर के निक्रास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को और शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाइस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रबंधक के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो खाता/एस्क्रो डीमैट खाता अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिशत, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाइस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रिया:

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ब्रोकर या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। सिक्योरिटीज ट्रांसफर फॉर्म